[illegible] हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-8-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पुनः बहस सुनी गई बहस समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 7-9-21 को पेश हो।	
7-9-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है. विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

13/दावा/2019
दायरा दिनांक 07.03.2019

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

1. जनकू बाई बेवा छीताराम उर्फ सीताराम जाति मीणा निवासी देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. जानकी बाई पुत्री छीताराम उर्फ सीताराम, पत्नि रामस्वरूप जाति मीणा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ ।
3. धनपाल पुत्र छीताराम उर्फ सीताराम जाति मीणा निवासी देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
4. महावीर पुत्र छीताराम उर्फ सीताराम जाति मीणा निवासी देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
5. हनुमान पुत्र छीताराम उर्फ सीताराम जाति मीणा निवासी देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

—वादीगण

बनाम

1. दौलतराम पुत्र नन्दनलाल जाति महाजन निवासी तिलकचौक बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी राज0।
2. फुन्दया पुत्र बलदेव जाति ब्राहम्ण निवासी कागजी देवरा बून्दी तहसील जिला बून्दी राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कापरेन जर्ये प्रबंधक महोदय, बडौदा राजस्थान क्षैत्रीयग्रामीण बैंक शाखा कापरेन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 89, 89, 43आर0टी0एक्ट व 136 एल आर एक्ट।

उपस्थित :— एडवोकेट बी.एल बीडा वादी की ओर से।

पेरोकार सरकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :— दिनांक 07-09-2021

वादी द्वारा वाद इस प्रकार पेश किया गया कि ग्राम देहीखेडा स्थित कृषि भूमि ख0न0 1292 रकबा 1.54 है0 ,ख0न0 211 रकबा 1.42 है0 ख0न0 53 रकबा 1.35 है0 , ख0न0 684 रकबा 0.83 है0 ,ख0न0 96 रकबा 0.76है0 ,ख0न0 97 रकबा 0.85 है0 ख0न0 98 रकबा 0.75 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 7.50 है0 राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के खातेदारी में अकिंत है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमियों के ख0न0 1292 , 211 ख0न0 684 पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम मुर्तहीन भी दर्ज हो रहा है तथा ख0न0 211 के 1/5 हिस्सा पर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम मुर्तहीन भी दर्ज हो रहा है।उक्त भूमि पैतृक है जो कि पूर्व में वादीगण के पिता श्री छीताराम उर्फ सीताराम के नाम दर्ज थी एवं पिता की मृत्यु उपरान्त वादीगण के विरासत से नाम लगी उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण निर्बाध व निरन्तर रूप सें काबिज काश्त रहे है राजस्थान राज्य काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावी होने के 30 वर्षो बाद उक्त अधिनियम की धारा 43 अनुसार वादग्रस्त भूमि स्वतः ही बन्धक मौचित हो चुकी है अर्थात गत व वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम मुर्तहीन प्रदर्शित इन्द्राज स्वतः ही निरस्त हो चुका है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त अकंन विलोपित नही किया गया।जिससे वादी के हित अनावश्यक प्रभावित हो रहे है इसलिये वादी ने ग्राम देहीखेडा स्थित वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम दर्ज मुर्तहीन का इन्द्राज विलोपित करते हुये वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

वाद दर्ज कर प्रतिवादी को जर्ये नाटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई बहस एकपक्षीय सुनी एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त DNJC(RAJ) 2000-01(Suphl) 245 चौकसी एण्ड कम्पनी बनाम के0 चन्द शामिल पत्रावली किया।

पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन करने पर यह पाया कि उक्त वादग्रस्त आराजीं सम्वंत 2033 से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम मुर्तहीन अकिंत है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43(4) प्रावधानानुसार गलत अकिंत है।अतः ग्राम देहीखेडा के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में ख0न0 1292 , 211 ,684 में अकिंत दौलतराम आत्मज कुन्दनलाल जाति महाजन बून्दी मूर्तहीन हिस्सा 1/5 एवंख0न0 211 फुन्द्या आत्मज बलदेव जाति ब्राहम्ण मुर्तहीन विलोपित किया जाता है। जनकु बाई पत्नि स्व0छीताराम को वादीगण को खातेदार का काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त DNJC(RAJ) 2000-01(Suphl) 245 चौकसी एण्ड कम्पनी बनाम के0 चन्द प्रकरण में चस्पा होता है निर्णय के साथ डिक्री जारी हो

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.12.10 18:36:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम लाखेरी

व इजलास श्री सुशान्त शर्मा R.A.S.

1. जनकूबाई बेवा सीताराम उर्फ सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम देईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह - वादीगण

बनाम

1. दौलतराम पुत्र नन्दलाल जाति महाजन निवासी तिलक चौक बून्दी वगैरह - प्रतिवादीगण

P.T.O. प्रत्यर्थ

दावा बाबत 88, 89 43 R.T. Act.

मुकदमा नम्बर 13/दावा/2019 .... सन ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे .... व हाजिरी श्री बी.एल. मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम देईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में अंकित ख.न. 1292, 211, 684 मूतहीन दौलतराम आत्मज कुन्दनलाल जाति महाजन बून्दी मूतहीन हिस्सा 45 एवं ख.नं. 211 कुन्दया आत्मज बलदेव जाति ब्राह्मण मूतहीन को राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाता है तथा वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7-9-2021 माह .... सन .... को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फी[illegible]		
6. फीस कमिश्नर			6. बा[illegible] इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे [illegible] के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

2. जानकीबाई पुत्री छीताराम उर्फ सीताराम पत्नी रामस्वरूप जाति
फोपचुदी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. घनपाल पुत्र छीतराम उर्फ सीताराम जाति मीणा निवासी देईखेड़ा तह...
4. महावीर पुत्र छीतराम उर्फ सीताराम जाति मीणा निवासी देईखेड़ा तहसील ...
5. हनुमान पुत्र छीतराम उर्फ सीताराम जाति मीणा निवासी देईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़

---वादीगण---

2. कुन्दया पुत्र बलदेव जाति ब्राह्मण निवासी कागजी डेवरा बून्दी तहसील बून्दी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कापरेन

---प्रतिवादीगण---

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner